दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय, कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEADQUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

NOTIFICATION NO. 10 /2019

1. (A) The competent authority has decided the filling-up the vacancy of Chief Law Assistant, Pay Matrix Level-07, against departmental quota. Details are given below:

Name of the post, Vacancy & Pay	Chief Law Assistant	Level-07	Vacancy- UR-01& ST-01
Closing date	One month from the date of Notification.		

Mode of selection	(a) In terms of Estt. Rule No.359/2018 & 164/2019 Written examination will be held on the pattern of 100% Objective type Multiple Choice paper will have to be 110 question, at least out of which 100 will have to be answered. 10 question (optional) will be on Rajbhasha rules & Policies. If , any candidate answers more than 100, the first 100 attempted question will count for promotional examination and duration of examination will be 90-120 minutes. There shall be negative marking for incorrect Answers. One third of the marks allotted for each question will be deducted for wrong Answers. No alteration /overwriting in the answer will be allowed. (b) The selection will comprised of written examination and viva-voce test. The selection will be conducted on following method. In respect of post of the Chief Law Assistant no marks for seniority will be awarded and consequently the various factors of selection and their relative weight will be as indicated below. The obtained scores out of 100 will be converted out of 35 for final consideration.

S.N.	Factors/Headings	Max. Marks	Qualifying Marks
I	Professional ability consisting of (i)Written test (ii) Viva-voce Test	 35 15	 30/50
II	Record of Service	30	
Total		80	48

Maximum 30 marks against the head "Record of service " shall be awarded for last 03financial years APARs considering the grade each year APAR as per following.

Below Average	02 marks
Average	04 marks
Good	06 marks
Very Good	08 marks
Outstanding	10 marks

The marks for the following heads shall be added in respect of awards (individual or Group) and deducted in respect of punishment during the three years period under consideration. from the marks secured by the candidate for APARs as mentioned above. However, in any case total marks will not be more than 30.

(i) For Award (Marks to be added)
(a) Railway Board level =04 marks
(b) GM level =03 marks.
(c) HOD level =02 marks.
(d) DRM level =01 marks.

(ii) For punishment (marks to be deducted) :
(a) Any major penalty = -1 marks.
(b) Any minor penalty= -1/2 mark.

The selection committee shall scrutinize service records, APARs, etc.

Eligibility condition	(a) Candidates must be a Law Graduate from any recognised University as on the date of notification. (this should be entered to his/their service record. (b) Candidates must have put in at least (05) five years of regular service in Group-C in the Railway irrespective of the department as the Date of Notification. (c) Candidates must be a Group-C employee having lien in any of the department

	in SECR and serving in grade lower than PB-2, 9300-34800, (G.P. Rs. 4600/-) new Pay matrix level-07(as per 7th PC)
Terms and conditions	(a)Candidates fulfilling the above criteria will have to appear for selection to be conducted by SECR Administration, Bilaspur. The selection will comprise of written examination and via-voce test. (b) Candidates will have to submit attested copy of their degree of Law while applying for the post of Chief Law Assistant. (c) In addition to (b) above candidates belonging ST/SC categories will also have to submit Xerox copy of the Caste Certificate while applying for the post. (d) All the application should be submitted through proper channel. (e) Application of employees of volunteering for the post of Chief Law Assistant filled in a prescribed format should reach this Office on or before as specified cut-off date in a consolidated bunch through concerned Personnel Branch. The Service particulars should be properly verified by the Officer who are dealing with their establishment and verified form the service records duly endorsing the same while forwarding the application to this office. The service particulars should be furnished according to the proforma as **Annexure- 'A'** only otherwise the staff concerned will not be considered for the selection. (f) Wide publicity to be given amongst the staff including the staff on deputation to other departments and Railway having lien in SECR (g) Personnel Officers are to consolidate application received and forward the same duly certifying details indicated to this office by **22.11.2019** positively. No application will be considered after this date. (h) The date of examination will be **07.12.2019 at Bilaspur.** The candidates who apply should be in readiness for the written examination. The venue of the examination will be advised later.
Qualifying marks for calling Viva-voce test	All the candidates who secure not less than 60 % marks in the written examination test should not be called for viva-voce test. For the post reserved community extant Rule and guidelines will be followed. The final panel should be drawn up as per extant provision in vogue
SYLLABUS	Enclosed as **Annexure- 'B'**
Pre selection coaching	The post of Chief Law Assistant being a non-safety category post no pre-selection coaching will be held for SC/ST Candidates.
Remarks	The selection for the post of Chief Law Assistant being a General Selection by calling for options from volunteers, there will be no Supplementary examination. All candidates should read SECR Estt Rule No. 359/2018 & 164/2019 and understand the mode of written test

DA:As above.

(J.S.Tata)
Asstt. Personnel Officer (HQ)
For Principal Chief Personnel Officer

NO.P-HQ/NGC/503/LAW ASSTT/P-104A/ 6401

DATE: 23.10.2019

Copy forwarded for information and necessary action to :
1. All PHODs/CHODs of HQ/SECR
2. Sr.DPO/BSP, R & Nagpur, WPO/WRS, & MIB/NGP
3. Dy.CMM/GSD/R, Dy CPO/CON/BSP
4. GS/SECRMC/BSP, GS/AISCST/ ASSOCIATION /BSP
5. Notice Board.

For Principal Chief Personnel Officer

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय, कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEADQUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

अधिसूचना सं. 10/2019

1. (ए) सक्षम प्राधिकारी ने विभागीय कोटा के अंतर्गत मुख्य विधि सहायक, पे मेट्रिक्स लेवल- 07 की रिक्ति को भरने का निर्णय लिया है, तत्संबंधी विवरण नीचे दिए गए हैं:-

पद का नाम, रिक्ति एवं वेतन	मुख्य विधि सहायक	लेवल -07	रिक्ति- 01 अनारक्षित और 01अजजा	
अंतिम तिथि	अधिसूचना की तारीख से 01 माह			
चयन पद्धति	(ए) स्थापना नियम संख्या 359/2018 और 164/2019 के अनुसार पदोन्नति परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्प प्रश्नपत्र जिसमे 110 प्रश्न होंगे जिसमे से कम से कम 100 प्रश्नो का उत्तर देना होगा। 10 प्रश्न (वैकल्पिक) राजभाषा नियम और नीतियां के होंगे। अगर कोई उम्मीदवार 100 से अधिक प्रश्नो को हल करता है तो प्रथम 100 प्रश्न का ही मूल्यांकन की जाएगी तथा इस हेतु परीक्षा की अवधि 90-120 मिनट की होगी। गलत उत्तर के लिए अंक काटा जाएगा। गलत उत्तर देने पर एक तिहाई अंक काटा जाएगा। उत्तर में कोई परिवर्तन / ओवरराइटिंग की अनुमति नहीं होगी। (बी) चयन में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिए जाएंगे। चयन में निम्नलिखित पद्धति अपनाई जाएगी। मुख्य विधि सहायक के पद के संबंध में वरिष्ठता के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा और चयन के विभिन्न आधारों के परिणामस्वरूप तथा उससे संबंधित दिए जाने वाले अंक नीचे दर्शाए गए हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन निर्धारित अवधि में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के अनुसार होगा। 100 में से प्राप्त अंकों को अंतिम विचार के लिए 35 अंको में परिवर्तित किया जाएगा।			

क्रम सं.	आधार एवं शीर्षक	पूर्णांक	अर्हक अंक
I	व्यावसायिक योग्यता में शामिल होंगे- (i) लिखित परीक्षा (ii) साक्षात्कार	 35 15	30/50
II	सेवा अभिलेख	30	
कुल		80	48

'सेवा अभिलेख' के मद में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए अधिकतम 30 अंक प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें निम्नलिखित अनुसार प्रत्येक वर्ष के एपीएआर की ग्रेडिंग पर विचार किया जाएगा :-

औसत से कम	02 अंक
औसत	04 अंक
अच्छा	06 अंक
बहुत अच्छा	08 अंक
उत्कृष्ट	10 अंक

ऊपर उल्लिखित के अनुसार एपीएआर के लिए उम्मीदवार द्वारा अर्जित अंकों से, विचाराधीन पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए पुरस्कारों (व्यक्तिगत या समूह) के लिए इस हेड में अंक को जोड़ा जाएगा और दंड के संबंध में अंकों की कटौती की जाएगी. यद्यपि किसी भी स्थिति में कुल अंक 30 से अधिक नहीं होगा.

(i) पुरस्कार के लिए (जोड़े जाने वाले अंक):

(a) रेलवे बोर्ड स्तर = 4 अंक,

(b) महाप्रबंधक स्तर = 3 अंक,

(c) एचओडी स्तर = 2 अंक,

(d) मंरेप्र स्तर = 1 अंक.

(ii) दंड के लिए (काटे जाने वाले अंक):-

	(a) किसी बड़ी शास्ति के लिए = -1 अंक, (b) किसी छोटी शास्ति के लिए = -½ अंक. उपर्युक्त उद्देश्य के लिए चयन समिति द्वारा सेवा अभिलेखों, एपीएआर इत्यादि की छानबीन की जाएगी.
पात्रता शर्तें	(ए) उम्मीदवार को अधिसूचना की तारीख में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक होना चाहिए। यह उनके सेवा पुस्तिका में दर्ज होना चाहिए। (बी) उम्मीदवारों को अधिसूचना की तारीख में संबंधित विभाग में रेलवे की ग्रुप सी में कम से कम (05) पांच साल की नियमित सेवा होना चाहिए। (सी) उम्मीदवारों को द.पू.म. रेलवे के किसी भी विभाग में ग्रुप-सी कर्मचारी के रूप में लीन होना चाहिए और पीबी -2, 9300-34800, (जीपी 4600/-) नए वेतन मेट्रिक्स लेवल 07 (सातवां वेतन आयोग के अनुसार) ग्रेड में सेवारत होना चाहिए।
नियम एवं शर्तें	(ए) उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार द.पू.म.रेलवे प्रशासन, बिलासपुर द्वारा आयोजित किए जाने वाले चयन परीक्षा में उपस्थित होंगे। चयन में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। (बी) उम्मीदवारों को मुख्य विधि सहायक के पद के लिए आवेदन करते समय विधि की अपनी डिग्री की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। (सी) ऊपर (बी) के अलावा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को उक्त पद के लिए आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र की जेरोक्स प्रति भी जमा करनी होगी। (डी) सभी आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (ई) निर्धारित प्रारूप में भरे हुए मुख्य विधि सहायक के पद के लिए इच्छुक कर्मचारियों के आवेदन पत्र समेकित रूप से संबंधित कार्मिक शाखा के माध्यम से निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक या उससे पहले इस कार्यालय को पहुँच जाना चाहिए। इस कार्यालय को आवेदन अग्रेषित करते समय उनके सेवा विवरणों को उस अधिकारी द्वारा सही ढंग से सत्यापित किया जाना चाहिए जो उनकी स्थापना से संबंधित कार्य देखते हैं और सेवा रिकॉर्ड को विधिवत प्रविष्टि करते हैं। सेवा विवरण को अनुबंध- 'ए' में संलग्न किए गए प्रोफार्मा के अनुसार पूर्ण किया जाना चाहिए अन्यथा संबंधित कर्मचारी के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। (एफ) द.पू.म.रेलवे में लीन रखने वाले रेलवे और अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। (जी) कार्मिक अधिकारी प्राप्त आवेदनों को समेकित करते हुए तथा दर्शाए गए विवरणों को विविवत सत्यापित करते हुए इस कार्यालय को दिनांक 22.11.2019 तक आवश्यक रूप से अग्रेषित करेगा। इस तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। (एच) परीक्षा बिलासपुर मे दिनांक 07.12.2019 को होगी । परीक्षा मे शामिल होने वाले उम्मीदवार परीक्षा हेतु तैयार रहें। परीक्षा स्थल की घोषणा बाद मे की जाएगी ।
साक्षात्कार परीक्षा में बुलाने के लिए अर्हक अंक	वे उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें साक्षात्कार परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आरक्षित समुदाय के पद के लिए मौजूदा नियम और दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। अंतिम पैनल प्रचलित प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाएगा।
पाठ्यक्रम	अनुलग्नक 'बी' के रूप में संलग्न।
चयन पूर्व प्रशिक्षण	मुख्य विधि सहायक का पद एक गैर-संरक्षा कोटि का पद है,इसलिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कोई चयन पूर्व प्रशिक्षण नहीं दी जाएगी।
अभ्युक्ति	मुख्य विधि सहायक पद के लिए चयन इच्छुकों से विकल्प मंगाने के कारण सामान्य चयन किया जा रहा है इसलिए कोई पूरक परीक्षा नहीं होगी। सभी उम्मीदवारों को चाहिए कि वे द.पू.म.रेलवे के स्थापना नियम संख्या 359/2018 और 164/2019 का अध्ययन करें और लिखित परीक्षा की पद्धति को समझ लें।

संलग्न - यथोक्त

(जे.एस.टाटा)
सहायक कार्मिक अधिकारी (मुख्या.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

NO.P-HQ/NGC/503/LAW ASSTT/P- 104A/ 6401 DATE: 23.10.2019

सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. द.पू.म.रे. मुख्यालय के सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/समन्वयक विभागाध्यक्ष
2. वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी-बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, कारखाना कार्मिक अधिकारी- वैरिशा रायपुर एवं मोतीबाग नागपुर.
3. उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/जीएसडी/रायपुर, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/निर्माण/बिलासपुर
4. महासचिव/एसईसीआरएमसी/बिलासपुर, महासचिव/एआईएससीएसटी/एसोसिएशन/बिलासपुर
5. नोटिस बोर्ड

कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

Annexure-A

Application proforma for the post of CLA

Sr.No.	Particulars	Details
1.	Name	
2.	Father's Name	
3.	Designation	
4.	Post Applied	
5.	Present Pay Matrix Level	
6.	Office/Unit	
7.	Lien	
8.	Date of Birth	
9.	Date of Appointment	
10.	Appointing Grade/Scale	
11.	PF/NPS No.	
12.	Community (UR/ST/SC/OBC)	
13.	Education Qualification	
14.	Pay Matrix Level (Substantive)	
15.	Date of Promotion (Substantive)	
16.	Pay Matrix Level (Officiating)	
17.	Date of Promotion (Officiating)	
18.	Whether came on request transfer, if any	
19.	Date of Joining to Unit/HQ on request transfer, if any.	
20.	Remarks, if any	

Place :
Date :

Signature of the employee

The above particulars are verified from the service records and found to be true and correct.

Signature and designation
of the Controlling Officer

Annexure-B

Syllabus for Selection of Law Assistant

(1) The Constitution of India.
(2) The Indian Contract Act, 1872.
(3) The Arbitration & Conciliation Act, 1996.
(4) The Railway Claims Tribunal Act. 1997
(5) The Central Administrative Tribunal Act, 1985
(6) The Railways Act. 1989.
(7) The Consumer Protection Act, 1986
(8) The Civil Procedure Code, 1908 with latest amendments.
(9) The Public Premises (Eviction of unauthorized Occupant) Act, 1972
(10) The Industrial Dispute Act. 1947.
(11) The Indian Evidence Act, 1872
(12) The Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules.
(13) The Workmen's Compensation Act, 1923 & Rules.
(14)The Payment of Wages Act, 1936 with the latest Amendment 2005.
(15) The Motor Vehicles Act.
(16) Other Relevant Acts.
(17) The Official Language Policy and Rules.
(18) RTI Act.-2005